

"जीएसटी 2.0" (दर युक्तिकरण) की ओर परिवर्तन: त्रि-स्तरीय अप्रत्यक्ष कर संरचना का गुणात्मक नीतिगत, संस्थागत एवं विधिक विश्लेषण

Dr Meena Keer

Assist. Professor, Commerce

Govt. Narmada College Narmadapuram INDIA

Abstract सारांश

भारत का अप्रत्यक्ष कर ढांचा "जीएसटी 2.0" की दिशा में एक निर्णायक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस सुधार का केंद्रबिंदु पूर्ववर्ती चार-स्तरीय कर व्यवस्था (5%, 12%, 18%, 28%) को एक सुव्यवस्थित त्रि-स्तरीय मॉडल (5% मेरिट दर, 18% मानक दर, और 40% डिमेरिट/सिन दर) में संकुचित करना है। प्रस्तुत शोध पत्र बिना किसी मात्रात्मक या अर्थमितीय जटिलता के, विशुद्ध नीतिगत, विधिक एवं संस्थागत दृष्टिकोण से इस संरचनात्मक बदलाव का समग्र मूल्यांकन करता है। इसमें वर्तमान व्यवस्था की अंतर्निहित विकृतियों—जैसे इनवर्टेड झूठी स्ट्रक्चर (IDS), एचएसएन वर्गीकरण विवाद, अवरुद्ध कार्यशील पूंजी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की रुकावटों—की पड़ताल की गई है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 12% स्लैब के तार्किक विभाजन (खाद्य व आवश्यक दवाओं को 5% में और औद्योगिक मध्यवर्ती इनपुट्स को 18% में शामिल करना) तथा क्षतिपूर्ति उपकर को 40% के वैधानिक स्लैब में समाहित करने से न केवल आपूर्ति श्रृंखला की विसंगतियां समाप्त होती हैं, बल्कि राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता और आम परिवारों की मूल्य-स्थिरता में भी संतुलन स्थापित होता है।

IndexTerms - मुख्य शब्द (Keywords): जीएसटी 2.0, दर युक्तिकरण (Rate Rationalization), अप्रत्यक्ष कर, राजकोषीय संघवाद, इनवर्टेड झूठी स्ट्रक्चर (IDS), इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), वर्गीकरण विवाद, कर प्रशासन।

1. प्रस्तावना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि Introduction and Historical Context

1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का क्रियान्वयन स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा राजकोषीय एकीकरण था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत 17 केंद्रीय और राज्य-स्तरीय करों को समाप्त कर एकल राष्ट्रीय मूल्यवर्धितकर श्रृंखला की स्थापना की गई। हालाँकि, 2017 में अंगीकार किया गया ढांचा अनिवार्य रूप से भारतीय राजकोषीय संघवाद के तहत हुआ एक व्यावहारिक राजनीतिक समझौता था। विभिन्न राज्यों के पुराने राजस्व को सुरक्षित रखने और निम्न-आय वर्ग पर अप्रत्यक्ष करों के प्रतिगामी प्रभाव को रोकने के लिए जीएसटी परिषद ने बहु-स्तरीय कर प्रणाली अपनाई: 0% (कर-मुक्त), 5% (मेरिट वस्तुएं), 12% (मानक निम्न), 18% (मानक उच्च), और 28% (विलासिता/हानिकारक वस्तुएं), जिस पर विशेष क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) भी जोड़ा गया था।

शुरुआती दौर में इस चार-स्तरीय संरचना ने राजनीतिक सहमति तो बना ली, किंतु वर्षों के व्यावहारिक संचालन ने इसके संरचनात्मक दोष उजागर कर दिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) समिति ने मूलतः राजस्व तटस्थ दर (RNR) 15.3% से 15.5% आंकी थी, लेकिन बार-बार की गई तदर्थ कर कटौतियों और व्यापक छूटों के कारण वास्तविक भारित कर दर घटकर लगभग 11.6%–12.0% रह गई। इसके अतिरिक्त, राज्यों को दी जाने

वाली पांच-वर्षीय वैधानिक क्षतिपूर्ति की समाप्ति के बाद उप-राष्ट्रीय (राज्यों के) वित्तीय संतुलन पर दबाव बढ़ गया।

इसी पृष्ठभूमि में "जीएसटी 2.0" के अंतर्गत 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर 5%, 18% और 40% की त्रि-स्तरीय संरचना का प्रारूप तैयार किया गया। यह शोध पत्र यह परीक्षण करता है कि क्या यह पुनर्गठन आम नागरिक के जीवन-यापन की लागत को बढ़ाए बिना कर प्रणाली की दक्षता और राजकोषीय पर्याप्तता को सुनिश्चित कर सकता है।

2. चार-स्तरीय व्यवस्था की संस्थागत एवं विधिक कमजोरियां Institutional and Legal Vulnerabilities of the Four-Tier Regime

2.1 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) और फंसी हुई कार्यशील पूंजी Inverted Duty Structures (IDS) and Working Capital Blockage

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (उलटी शुल्क संरचना) तब उत्पन्न होती है जब कच्चे माल या मध्यवर्ती इनपुट्स पर लागू कर की दर तैयार माल पर लागू दर से अधिक होती है ($t_{\text{input}} > t_{\text{output}}$)। चार-स्तरीय ढांचे में यह विसंगति कपड़ा (टेक्सटाइल), जूता उद्योग, उर्वरक, इंजीनियरिंग कलपुर्जों और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों में गंभीर समस्या बन गई। उदाहरण के लिए, जब 12% या 18% कर वाले सिंथेटिक धागे से 5% दर वाला कपड़ा बनाया जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्थायी रूप से अप्रयुक्त रह जाता है।

यद्यपि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (CGST Act), 2017 की धारा 54(3)(ii) ऐसे मामलों में अप्रयुक्त ITC के रिफंड का प्रावधान करती है, लेकिन इसकी प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। कारोबारियों की कार्यशील पूंजी सरकारी रिफंड पाइपलाइन में महीनों फंसी रहती है। इसके अलावा, इनपुट सेवाओं के रिफंड पर कानूनी प्रतिबंधों (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के *VKC Footsteps* मामले में देखा गया) ने विनिर्माण क्षेत्र की लागत को अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया।

2.2 सीमांत विसंगतियां एवं वर्गीकरण संबंधी विधिक मुकदमेबाजी Boundary Arbitrage and HSN Classification Litigation

दो निकटवर्ती मध्यवर्ती दरों—12% और 18%—की उपस्थिति ने तकनीकी और विधिक विवादों को जन्म दिया। चूंकि 6 प्रतिशत अंकों का अंतर व्यावसायिक लाभ-हानि को तय करने के लिए पर्याप्त होता है, इसलिए कंपनियों और कर अधिकारियों के बीच हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड के तहत वस्तुओं के वर्गीकरण को लेकर भारी मुकदमेबाजी शुरू हो गई।

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (AAR), उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ गई—जैसे कि क्या फ्लेवर्ड मिल्क डेयरी उत्पाद (कम दर) है या बेवरेज (उच्च दर); क्या परांठा रोटी (5%) के समकक्ष है या अलग श्रेणी (18%) में आता है; या विशिष्ट पैकेज्ड खाद्य पदार्थ नमकीन हैं या बेकरी उत्पाद। इस भाषाई और तकनीकी खींचतान ने न्यायिक तंत्र और कर प्रशासन पर भारी अतिरिक्त बोझ डाला।

2.3 क्षतिपूर्ति उपकर के उपरांत राजकोषीय दबाव Post-Compensation Fiscal Strain

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत राज्यों को पांच वर्षों तक 14% की वार्षिक चक्रवृद्धि राजस्व वृद्धि की गारंटी दी गई थी। इस वैधानिक सुरक्षा कवच के समाप्त होने के बाद राज्य सरकारें पूरी तरह से जीएसटी की अंतर्निहित उछाल (Buoyancy) पर निर्भर हो गईं। विखंडित दरों और रियायतों से भरा पुराना ढांचा राज्यों को उपकर की निरंतरता के बिना आत्मनिर्भर राजकोषीय सुरक्षा देने में असमर्थ सिद्ध हो रहा था।

3. प्रस्तावित त्रि-स्तरीय "जीएसटी 2.0" संरचना का संस्थागत खाका Structural Blueprint of the Proposed Three-Tier Architecture

प्रस्तावित सुधार वस्तुओं के पुराने ऐतिहासिक कर स्तर के बजाय उनके सामाजिक महत्त्व, मूल्य-संवर्धन और नकारात्मक बाह्यताओं (Negative Externalities) के आधार पर कर दरों का पुनर्गठन करता है:

[वर्तमान 4-स्तरीय व्यवस्था]

[प्रस्तावित 3-स्तरीय "जीएसटी 2.0"]

0% (कर-मुक्त / प्राथमिक वस्तुएं)	0% (यथावत: खुला अनाज, कृषि उत्पाद, प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा)
5% (मेरिट / आवश्यक उपभोग)	5% (विस्तारित: 12% स्लैब से जनोपयोगी खाद्य व आवश्यक वस्तुएं)
12% (मध्यवर्ती / प्रसंस्कृत वस्तुएं)	समाप्त (वस्तुओं का 5% और 18% में तार्किक विभाजन)
18% (मानक दर: उद्योग / सेवाएं)	18% (एकीकृत मानक दर: उपकरण, टिकाऊ वस्तुएं, सेवाएं, उद्योग)
28% (टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं)	समाप्त (घरेलू उपकरण व सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स 18% में शामिल)
उपकर (Cess) / सिन वस्तुएं	40% (विशिष्ट डिमेरिट/हानिकारक स्लैब: तंबाकू, विलासिता वाहन)

स्लैब-वार पुनर्गठन का रणनीतिक आधार Strategic Reallocation Logic

0% स्लैब (कर-मुक्त आधार): यह अपनी संवैधानिक और सामाजिक भूमिका में यथावत रहेगा। प्राथमिक कृषि उत्पाद, बिना पैक किया गया खाद्यान्न, सरकारी स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह कर-मुक्त रहेंगे, जिससे सबसे गरीब वर्ग की पोषण सुरक्षा अक्षुण्ण रहे।

5% मेरिट स्लैब (जीवन-यापन लागत संरक्षण): इसका दायरा बढ़ाकर इसमें वर्तमान 12% स्लैब की उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाना है जो आम जनता के दैनिक उपभोग का हिस्सा हैं—जैसे पैकेज्ड डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी), प्राथमिक जीवनरक्षक दवाएं, डायग्नोस्टिक किट और कृषि यंत्र।

18% मानक स्लैब (अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार): यह अर्थव्यवस्था की डिफ़ॉल्ट दर बनती है, जिसमें अधिकांश विनिर्मित मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत उपकरण, B2B सेवाएं, और 28% स्लैब से हटाए गए सामान्य घरेलू उपकरण (रेफ्रिजरेटर, टीवी, वाशिंग मशीन) शामिल होंगे।

40% डिमेरिट/सिन स्लैब (नकारात्मक प्रभाव नियंत्रण): 28% कर और अलग-अलग क्षतिपूर्ति उपकरणों की जटिल दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर सीधे 40% की स्पष्ट दर लागू की जाती है, जो तंबाकू, पान मसाला, लगजरी कारों और वातित मीठे पेयों (Aerated Drinks) पर द्रित है।

4. नीतिगत संचरण तंत्र: राजकोषीय पर्याप्तता बनाम मुद्रास्फीति नियंत्रण Policy Transmission Mechanisms: Fiscal Stability vs. Inflationary Protection

दरों के पुनर्गठन का मार्ग

- 12% से 5% —► निर्धन एवं मध्यम वर्ग की सुरक्षा; खुदरा मूल्य सूचकांक (CPI) में स्थिरता
- | —► 12% से 18% —► मानक आधार का विस्तार; इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) का स्थायी अंत
- └ —► 28% से 18% —► घरेलू उपकरणों की मांग में वृद्धि; 40% डिमेरिट दर से राजस्व क्षतिपूर्ति

4.1 18% मानक स्लैब द्वारा IDS का निराकरण (लागत में स्वतः कमी) Resolution of Inverted Duty Structures via the 18% Standard Tier

यह तर्क दिया जा सकता है कि मध्यवर्ती उत्पादों को 12% से बढ़ाकर 18% करने से अंतिम उत्पाद महंगे हो जाएंगे। किंतु आपूर्ति श्रृंखला का सूक्ष्म विश्लेषण एक विपरीत लागत-संतुलन तंत्र प्रस्तुत करता है:

जब कच्चे माल, मध्यवर्ती पार्ट्स और पूंजीगत सेवाओं सभी को 18% के एकसमान मानक स्लैब में लाया जाता है, तो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रवाह निर्बाध हो जाता है। कंपनियों का क्रेडिट सरकार के पास रिफंड के रूप में नहीं अटकता। रिफंड के इंतजार में लगने वाली कार्यशील पूंजी का बैंक ब्याज और प्रशासनिक अनुपालन लागत समाप्त हो जाती है। यह परिचालन बचत बढ़े हुए सांकेतिक कर के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देती है, जिससे अंतिम खुदरा कीमतों पर मूल्य-वृद्धि का दबाव नगण्य हो जाता है।

4.2 घरेलू कल्याण एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की सुरक्षा 2 Household Welfare and CPI Basket Insulation

दर युक्तिकरण से महंगाई का जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि आम परिवार के उपभोग की प्राथमिकताओं को कैसे संभाला जाता है:

मेरिट बास्केट का संरक्षण: ग्रामीण और शहरी निम्न आय वर्ग के कुल पारिवारिक खर्च में खाद्य और आवश्यक दवाओं का हिस्सा प्रमुख होता है। 12% से दैनिक उपयोग के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, घी, पैकेज्ड पनीर और दवाओं को 5% के दायरे में लाने से आम परिवार के घरेलू बजट को प्रत्यक्ष राहत मिलती है।

विवेकाधीन उपभोग का भार: जिन वस्तुओं को 18% में स्थानांतरित किया जाता है, वे मुख्य रूप से औद्योगिक कलपुर्जे या गैर-ज़रूरी सेवाएं हैं, जिनका उपभोग उच्च आय वर्ग करता है या जिनका कर व्यवसायों द्वारा क्रेडिट के रूप में समायोजित कर लिया जाता है। अतः इससे व्यापक मुद्रास्फीति नहीं भड़कती।

4.3 सेस-उपरांत युग में राजस्व की पर्याप्तता Fiscal Revenue Neutrality Post-Compensation Cess

राज्यों और केंद्र के लिए 3-स्तरीय मॉडल राजकोषीय संतुलन को तीन रूपों में मजबूत करता है:

कर आधार का विस्तार: 18% का स्लैब विनिर्माण और तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र को एक विस्तृत, स्थिर और पारदर्शी कर आधार प्रदान करता है।

अनुपालन और ऑडिट में सुगमता: केवल दो सामान्य व्यावसायिक दरें (5% और 18%) होने से फर्जी इनवॉयस और गलत वर्गीकरण के जरिए होने वाली कर चोरी पर स्वतः लगाम लगती है।

संवैधानिक विभाज्य पूल में स्थिरता: 40% डिमेरिट स्लैब से प्राप्त होने वाला राजस्व सीधे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत केंद्रीय विभाज्य पूल (Divisible Pool) का हिस्सा बनता है, जिससे वित्त आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्यों को उनका वैध हिस्सा बिना किसी विशेष उपकरण पर निर्भर रहे प्राप्त होता रहता है।

प्रमुख वस्तुओं का तुलनात्मक क्षेत्रीय वर्गीकरण Comparative Sectoral Mapping

वस्तु / औद्योगिक क्षेत्र	पुरानी दर	प्रस्तावित 3-स्तरीय दर	आर्थिक वर्गीकरण	नीतिगत कारण एवं रणनीतिक तर्क
खुला अनाज, ताजा दूध, सब्जियां	0%	0% (यथावत)	अनिवार्य मेरिट	खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना; निम्नतम आय वर्ग पर शून्य अप्रत्यक्ष कर भार।
पैकेज्ड डेयरी (मक्खन, घी), प्रसंस्कृत खाद्य	12%	5%	जनोपयोगी उपभोग	खाद्य महंगाई पर अंकुश; 5% और 12% के बीच डेयरी वर्गीकरण विवादों का अंत।
जीवनरक्षक दवाएं, डायग्नोस्टिक	12%	5%	स्वास्थ्य सुरक्षा	चिकित्सा उपचार की लागत घटाना; फॉर्मूलेशन और एक्टिव इन्ग्रेडिएंट्स के कर

रीजेंट्स				में सामंजस्य।
कृषि उपकरण, ड्रिप इरिगेशन, ट्रैक्टर पार्ट्स	12%	5%	कृषि इनपुट	कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा; किसानों के पूंजीगत इनपुट्स पर इनवर्टेड ऊ्यूटी का समाधान।
रेडिमेड वस्त्र एवं परिधान (मूल्य सीमा-आधारित)	5% / 12%	5%	बुनिया दी उपभोग्य	वस्त्रों पर कृत्रिम मूल्य सीमाओं (जैसे ₹1,000 की सीमा) के कारण होने वाले विवादों की समाप्ति।
इंजीनियरिंग पार्ट्स, बेसिक केमिकल्स, पॉलिमर्स	12%	18%	मानक मध्यवर्ती	इनवर्टेड ऊ्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) का स्थायी निवारण; विनिर्माण क्षेत्र में निर्बाध ITC प्रवाह।
घरेलू उपकरण (रेफ्रिजरेटर, टीवी, वाशिंग मशीन)	28%	18%	मानक टिकाऊ वस्तु	'विलासिता' से हटाकर 'मध्यम वर्गीय आवश्यकता' के रूप में मान्यता; घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मांग में वृद्धि।
सीमेंट एवं संरचनात्मक निर्माण सामग्री	28%	18%	बुनिया दी ढांचा इनपुट	आवास और सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण की समग्र लागत घटाना; रियल एस्टेट में कर चोरी रोकना।
व्यावसायिक सेवाएं (IT, टेलीकॉम, बैंकिंग)	18%	18% (यथावत)	मानक सेवा	सेवा क्षेत्र में कर स्थिरता; B2B इनवॉइस मिलान और क्रेडिट उपयोग में सरलता।
तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला	28% + Cess	40%	डिमेरिट / सिन	सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु दंडात्मक कर जारी रखना; उपकर हटने के बाद राजस्व संरक्षण।
उच्च-क्षमता निजी मोटर वाहन / लगजरी कारें	28% + Cess	40%	अति-विलासिता	संपन्न वर्ग के विलासिता उपभोग पर प्रगतिशील कर; सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं पर कर कटौती की भरपाई।

6. प्रशासनिक, नियामक एवं विधिक निहितार्थ Administrative, Regulatory, and Legal Ramifications

6.1 अदालती मुकदमों में कमी एवं GSTAT की प्रभावशीलता

चार-स्तरीय व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रशासनिक दोष 12% और 18% के बीच अंतहीन न्यायिक विवाद रहे हैं। 12% स्लैब के समाप्त होने से वाणिज्यिक संस्थाओं के पास वस्तुओं को कृत्रिम रूप से कम दर वाले स्लैब में साबित करने का आर्थिक प्रोत्साहन समाप्त हो जाएगा। इससे

नवगठित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) और उच्च न्यायालयों पर पुराने मामलों का बोझ तेजी से घटेगा। कर विभाग अपनी ऊर्जा और संसाधन तुच्छ वर्गीकरण मामलों के बजाय वास्तविक कर अपवंचन, बोगस बिलिंग और सर्कुलर ट्रेडिंग सिंडिकेट्स की रोकथाम में लगा सकेंगे।

6.2 मुनाफाखोरी-रोधी (Anti-Profiteering) चुनौती

जब दरों में कटौती की जाती है (जैसे 12% से 5% या 28% से 18%), तो बाजार में एक व्यावहारिक विसंगति देखी जाती है: कंपनियां कर वृद्धि का भार तो तुरंत ग्राहकों पर डाल देती हैं, लेकिन कर कटौती का लाभ अपने लाभ-मार्जिन में समाहित कर लेती हैं।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA) के कार्यों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को सौंपे जाने के बाद, नीति-निर्माताओं को कठोर मूल्य-नियंत्रण के स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए:

खुदरा और थोक स्तर पर दरों में हुए बदलाव का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।

खुले बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जिससे प्रतिस्पर्धी दबाव में कंपनियां मूल्य कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बाध्य हों।

7. प्रमुख नीतिगत अनुशंसाएं Policy Recommendations

5% मेरिट बास्केट की शुचिता बनाए रखना: जीएसटी परिषद को किसी भी राजकोषीय दबाव में आकर दैनिक उपभोग्य खाद्य उत्पादों या दवाओं को 18% स्लैब में नहीं धकेलना चाहिए। जनस्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा से जुड़े सभी उत्पाद 5% या 0% पर ही स्थिर रहने चाहिए।

40% स्लैब की स्पष्ट एवं सख्त परिभाषा: 40% की दर को केवल वास्तविक सिन (तंबाकू, पान मसाला आदि) और उच्च विलासिता की वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाए। इसका विस्तार सामान्य मध्यम वर्गीय उपभोक्ता वस्तुओं पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा घरेलू विनिर्माण मांग कुंठित हो सकती है।

संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का ऑडिट: दरों के अंतिम पुनर्गठन से पूर्व टेक्सटाइल, चमड़ा और उर्वरक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की पूरी इनपुट-टू-आउटपुट श्रृंखला का तकनीकी ऑडिट किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी मध्यवर्ती इनपुट तैयार माल से अधिक दर पर न छूटे।

GSTAT द्वारा अखिल भारतीय एकरूपता: संक्रमण काल के दौरान दरों के वर्गीकरण को लेकर राज्यों के बीच किसी भी भ्रम की स्थिति में GSTAT की प्रधान पीठ द्वारा देशव्यापी रूप से बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

8. निष्कर्ष . Conclusion

"जीएसटी 2.0" के अंतर्गत 5%, 18% और 40% की त्रि-स्तरीय संरचना अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाने का एक संतुलित एवं व्यावहारिक मार्ग है। 12% और 28% के विसंगतिपूर्ण स्लैब को हटाकर यह सुधार उन संरचनात्मक बाधाओं को सीधे समाप्त करता है जिन्होंने 2017 से प्रणाली की दक्षता को सीमित किया हुआ था।

यह गुणात्मक अध्ययन सिद्ध करता है कि त्रि-स्तरीय ढांचा राजकोषीय पर्याप्तता और आम जनता के कल्याण के बीच कोई शून्य-योग (Zero-Sum) संघर्ष पैदा नहीं करता:

5% का विस्तृत मेरिट स्लैब गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगाई के झटकों से पूरी सुरक्षा प्रदान करता है।

18% का एकीकृत मानक स्लैब इनवर्टेड ऊयूटी की विसंगति को समाप्त कर उद्योगों में फंसी कार्यशील पूंजी को मुक्त करता है और अनुपालन लागत घटाता है।

40% का वैधानिक डिमेरिट स्लैब उपकर-मुक्त युग में केंद्र और राज्यों दोनों के लिए राजस्व की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

अंततः, यह दर युक्तिकरण भारत के वस्तु एवं सेवा कर को एक जटिल समझौते से बदलकर एक आधुनिक, पारदर्शी और विवाद-मुक्त अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में रूपांतरित करता है।

संदर्भ (References)

सांविधिक अधिनियम एवं संवैधानिक प्रावधान Statutory Enactments & Constitutional Provisions
भारत का संविधान। (2016). *संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016*. भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017। (2017 का अधिनियम संख्यांक 12). धारा 9 (उद्ग्रहण एवं संग्रहण), धारा 16 (इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता एवं शर्तें), धारा 54 (कर की वापसी/रिफंड), एवं धारा 171 (मुनाफाखोरी-रोधी उपाय). विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017। (2017 का अधिनियम संख्यांक 15). विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017। (2017 का अधिनियम संख्यांक 13). विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

आधिकारिक रिपोर्ट एवं सरकारी प्रकाशन Government Reports & Official Publications

पंद्रहवां वित्त आयोग। (2020). *कोविड काल में वित्त आयोग: वर्ष 2021-26 हेतु रिपोर्ट (खंड I एवं II)*. अध्यक्ष: एन. के. सिंह. भारत सरकार, नई दिल्ली।

जीएसटी परिषद सचिवालय। (2017–2025). *जीएसटी परिषद की बैठकों के निर्णयों एवं कार्यवृत्त का संकलन (1 ली से 56 वीं बैठक)*. नई दिल्ली: जीएसटी परिषद।

जीएसटी परिषद सचिवालय। (2021–2025). *जीएसटी दर युक्तिकरण पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की अंतरिम एवं अंतिम सिफारिशें*. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

वित्त मंत्रालय। (2015). *वस्तु एवं सेवा कर (GST) हेतु राजस्व तटस्थ दर एवं दरों की संरचना पर रिपोर्ट*. अध्यक्ष: डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार. नई दिल्ली: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP)। (2022). *जीएसटी दर युक्तिकरण के राजस्व प्रभाव: परिदृश्य एवं नीतिगत विकल्प*. वर्किंग पेपर श्रृंखला, नई दिल्ली।

न्यायिक निर्णय एवं केस लॉ Landmark Judicial Precedents & Case Law

मोहित मिनरल्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ, (2022) 10 SCC 700 (सर्वोच्च न्यायालय) — अनुच्छेद 246A के तहत सहकारी संघवाद और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के विधिक स्वरूप की व्याख्या।

भारत संघ एवं अन्य बनाम वीकेसी फुटस्टेप्स इंडिया प्रा. लि., (2021) 52 G.S.T.L. 513 / AIR 2021 SC 4407 (सर्वोच्च न्यायालय) — इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत इनपुट सेवाओं के रिफंड अपवर्जन पर धारा 54(3)(ii) और नियम 89(5) की विधिक व्याख्या।

रेकिट बैंकिज़र इंडिया प्रा. लि. बनाम भारत संघ, (2022) SCC OnLine Del 4259 (दिल्ली उच्च न्यायालय) — मुनाफाखोरी-रोधी उपायों एवं मूल्य कटौती के उपभोक्ता हस्तांतरण पर धारा 171 की संवैधानिक वैधता।

सफारी रिट्रीट्स प्रा. लि. बनाम मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, (2019) 25 G.S.T.L. 341 (उड़ीसा उच्च न्यायालय) [सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2024 INSC 757 में संशोधित/पुष्ट] — वाणिज्यिक निर्माण और अचल संपत्ति के इनपुट्स पर धारा 17(5)(d) के तहत निर्बाध इनपुट क्रेडिट की व्याख्या।

शोध आलेख एवं अकादमिक संदर्भ Academic & Journal Citations

मुखर्जी, एस. (2020). इंटर-स्टेट वैरिएशन इन जीएसटी कलेक्शन एंड फिस्कल ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट्स. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 55(41), 47–56.

पोद्दार, एस., एवं बागची, ए. (2007). रेवेन्यू-न्यूट्रल टैरिफ एंड वैट रेट्स फॉर इंडिया. *राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) वर्किंग पेपर्स*, संख्यांक 42.

राव, एम. जी. (2019). टुवर्ड्स अ सिम्पलीफाइड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया: प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी. *इंडिया पॉलिसी फोरम*, 15(1), 1–46. नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER).